–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 147 / 2021

उनवान

रामनिवास पुत्र हजारी जाति भांबी निवासी ग्राम बनेवडा, नसीराबाद
––वादी :–जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया

बनाम

1. गोपाल
2. निहाल
3. मनभर
4. महावीर
5. सुरेश
6. भंवरी पि. मोहन समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम बनेवडा, नसीराबाद
7. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

––प्रतिवादीगण :– 1 से 6 जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाराशर
7 जरियें राज. पैरोकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 12.2.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बनेवडा के खाता संख्या 632 / 413 किता 4 रकबा 0.39 की भूमि वादी की खातेदारी की है। उक्त आराजी के लगती हुयी सीमा पर खसरा नम्बर 2956 / 1772, 2957 / 1772, 2959 / 1773, 2960 / 1773, 2962 / 1774 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की है। प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी पर दिनांक 22.11.21 को निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण सीमाज्ञान हेतु तैयार नही हुये। वादी द्वारा पूर्व में भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया किन्तु भूमि का नाप सही नही होने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सीमाज्ञान करने हेमु आवेदन किया जो जल्दी ही होने वाला है। किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी पर निर्माण कार्य चालू किया हुआ है। अतः आराजी मुतनाजा के सीमाज्ञान होने तक प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य नही करने हेतु जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी [illegible] पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण [illegible] गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:28:02 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादी को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य वादी बंद की गयी। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया। ग्राम बनेवडा के खाता संख्या 632/413 किता 4 रकबा 0.39 की भूमि वादी की खातेदारी की है। उक्त आराजी के लगती हुयी सीमा पर खसरा नम्बर 2956/1772, 2957/1772, 2959/1773, 2960/1773, 2962/1774 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की है। वादी व प्रतिवादी पक्ष के नाम दर्ज आराजी पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के पिता मोहन की संयुक्त खातेदारी में थी। न्यायालय के आदेश से उक्त आराजी का विभाजन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य किया गया। वादी का कथन है कि प्रतिवादी उनकी खातेदारी आराजी पर निर्माण कार्य कर रहे है किन्तु इसके समर्थन में उनके द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य पेश नही की है। वादी का कथन है कि वादी द्वारा पूर्व में भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया किन्तु भूमि का नाप सही नही होने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सीमाज्ञान करने हेमु आवेदन किया जो जल्दी ही होने वाला है। किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी पर निर्माण कार्य चालू किया हुआ है। अतः आराजी मुतनाजा के सीमाज्ञान होने तक प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य नही करने हेतु जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जावे। उक्तानुसार स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी पक्ष के मध्य मुख्य विवाद भूमि की सीमा को लेकर के है। वादी द्वारा उक्त वाद 30.11.21 को पेश किया है। वाद प्रस्तुत किये 3 वर्ष से अधिक समय हो गया है। वर्तमान में भूमि का सीमाज्ञान हो गया है अथवा नही यह वादी ने स्पष्ट नही किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है यह भी वादी ने स्पष्ट नही किया है। प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण स्वयं की खातेदारी आराजी पर किया है अथवा वादी की यह साक्ष्य से ही स्पष्ट हो सकता था, किन्तु वादी द्वारा अपने वाद को सिद्व करने हेतु साक्ष्य पेश नही की है। अतः वादी के कथनो की ताईद नही होने से वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम बनेवडा के खाता संख्या 632/413 किता 4 रकबा 0.39 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:28:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामनिवास बनाम गोपाल

दावा बाबत :– 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 147/2021
पेश करने की दिनांक – 30.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक महेश सुकरिया मुददई नरेन्द्र पाराशर व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बनेवडा के खाता संख्या 632/413 किता 4 रकबा 0.39 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 2 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:28:02 IST
Reason: SelfAttested